एडवाईजरी (Advisory)

दिनांक–09.06.2026

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी फैलाये जाने से संबंधित अपराध के रोकथाम हेतु बिहार पुलिस की राज्य स्तरीय नोडल संस्था एवं विशिष्ट इकाई है। ज्ञात हो कि नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी के द्वारा आयोजित NEET-2026 की लिखित पुर्नपरीक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक–21.06.2026 को आयोजित किये जाने से संबंधित सूचना है।

असामाजिक तत्वों/साइबर ठगों के द्वारा NEET-2026 की लिखित पुर्नपरीक्षा के संबंध में अफवाह/भ्रम फैलाने से इन्कार नहीं किया जा सकता है, इनके द्वारा फर्जी फोन कॉल अथवा विभिन्न सोशल मीडिया यथा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलिग्राम, व्हाट्सएप, एक्स (ट्वीटर) एवं अन्य डिजिटल माध्यमों का दुरूपयोग कर अभ्यर्थियों/आम–जनमानस के बीच परीक्षा से संबंधित गलत अफवाह/भ्रम फैलाया जा सकता है, जिससे परीक्षा के शुचिता/अखण्डता की समस्या उत्पन्न होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि साइबर अपराधी/असामाजिक तत्व द्वारा परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने से संबंधित अफवाह/परीक्षा के प्रश्न पत्र/उत्तर पत्र उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से पैसे की ठगी करने तथा नौकरी दिलाने का भी कुत्सित प्रयास किया जा सकता है, जिसके संबंध में भी सतर्कता एवं बचाव की आवश्यकता है।

इसके मद्देनजर आगामी NEET-2026 की लिखित पुर्नपरीक्षा में सुरक्षा के मामलों पर सावधानी बरतने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये **एडवाईजरी जारी किया जाता है, जिसमें निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की आवश्यकता है :–**

- अगर इस परीक्षा से संबंधित प्रश्न पत्र/उत्तर पत्र उपलब्ध कराने जैसे किसी भी व्यक्ति/परीक्षार्थी को फर्जी कॉल अथवा सोशल मीडिया/ई–मेल पर ऐसे मैसेज आयें और पैसे की मांग करे सतर्क हो जायें और इसकी सूचना तुरंत नजदीकी थाना/साइबर थाना में दें।
- यदि इस परीक्षा से संबंधित अफवाहजनक/भ्रम फैलाने वाला मैसेज प्राप्त हो तो कृप्या इसे किसी दूसरे लोगों को/ग्रुप में फारवर्ड न करें।
- अगर किसी सोशल मीडिया पर कोई प्रश्न पत्र/उत्तर पत्र वायरल करने की बात प्रकाश में आती हो तो तुरंत पोस्ट करने वाले के बारे में तथा सोशल मीडिया से संबंधित (URL) की सूचना संबंधित थाना/साइबर थाना में दें ताकि इसकी सत्यता की तुरंत जाँच किया जा सके एवं कुकृत्य करने वाले का पता लगाकर त्वरित कार्रवाई किया जा सके।
- इस परीक्षा में गड़बड़ी फैलाये जाने का प्रयास किये जाने से संबंधित किसी तरह की पूर्व सूचना/सूचना प्राप्त होने पर आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना स्थित कार्यालय के Mobile/Whatsapp Number 9031829067 एवं Email ID - digeou-bih@gov.in पर तुरंत सूचना अवश्य दें। शीघ्र इसकी जाँच पड़ताल एवं अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।
- फर्जी कॉल द्वारा साईबर ठगी से संबंधित सूचना NCRP पोर्टल के हेल्पलाईन नंबर 1930 पर भी दी जा सकती है।

नोटः– यह भी उल्लेख करना है कि परीक्षा में कदाचार को रोकने के निमित The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act 2024 के तहत 10 साल तक का कारावास एवं एक करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही नये कानून भारतीय न्याय सहिंता 2023 में भी परीक्षा में कदाचार रोकने हेतु कठोरतम् कानून बनाये गये हैं।